राजस्थान सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.01(02)न्याय/2023 जयपुर दिनांक 12.01.2026

::अधिसूचना::

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (सन् 1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2) की धारा 8 एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 (सन् 1989 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 22) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा माननीय मुख्य न्यायाधिपति, राजस्थान उच्च न्यायालय की सहमति से राज्य सरकार, एतद्द्वारा जिला एवं सेशन न्यायाधीश, खैरथल, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, फलौदी, डीडवाना, डीग, सलूम्बर तथा अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 1, ब्यावर, संख्या 1 कोटपूतली, को अपने अपने राजस्व जिले की क्षेत्रीय सीमाओं के लिए विशिष्ठ न्यायालय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण के रूप में गठित करती है।

इसके साथ ही विशिष्ठ न्यायालय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण, बाड़मेर का क्षेत्राधिकार राजस्व जिला बाड़मेर एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं विशिष्ठ न्यायालय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण, बालोतरा का क्षेत्राधिकार राजस्व जिला बालोतरा निर्धारित किया जाता है।

राज्यपाल के आदेश से,

12/01/2026

(राघवेन्द्र काछवाल)

प्रमुख शासन सचिव

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

No. Gen/II/23/2025/.135 Date:16./01/2026

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All Registrars, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Jaipur Bench.
   (Registrar CPC with a request to upload the same on High Court website)
2. The Concerned District & Sessions Judges.
3. The Concerned Chief Judicial Magistrates.
4. A.O.J. Conf./ RJS Estt./ SC Estt/ Statistics / Budget/ Building / Computer Cell Rajasthan High Court, Jodhpur.

16/01/2026

REGISTRAR (RULES)